राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बजट प्लान/11/3918 दिनांक : 17/X/11

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
पाली।

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47–48 की अनुपालना मे निशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु संविदा पर कर्मचारी रखने हेतु बजट आवंटन।

संदर्भ :– उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग की स्वीकृति क्रमांक : प17(14)चिस्वा/ग्रुप–2/2009 दिनांक 30.09.2011 एवं आपका पत्रांक : 12010 दिनांक 7.10.2011

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित स्वीकृति के क्रम मे वर्ष 2011–12 मे मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47–48 की अनुपालना मे राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों मे निशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु कर्मचारी रखने के लिये निम्न निर्देशों के अनुसार संविदा सेवा एवं कार्यालय व्यय मे पूर्व मे आवंटित बजट के अलावा कुल राशि रू. 1,98,000/– (अक्षरे राशि रू. एक लाख अंठानवे हजार मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है :–

S. No.	Name of CHC	2210-03-104-01-0 CHC (PLan)					
		41-Contract Service					05-OE
		No. of Pharmacist	Amount	No. of Helper	Amount	Total Addl. Allotment	
1	Sojatroad	1	33000	1	27600	60600	5400
2	Sumerpur	1	33000	1	27600	60600	5400
3	Rani	1	33000	1	27600	60600	5400
	Total	3	99000	3	82800	181800	16200

इस बजट का उपयोग मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से फार्मासिस्ट एवं सहायक (Helper) को भुगतान करने हेतु प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन एवं इस निदेशालय द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के तहत किया जावेगा।

निर्देश :–

1. राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एक पंजीकृत संस्था होने के कारण संविदा नियुक्तियों पर प्रतिबंध संबंधी परिपत्र दिनांक 17.06.2011 राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते हैं। अतः इस संबंध मे वित्त विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का शिथलन अपेक्षित नही है।
2. जिन दवा वितरण केन्द्रो के संचालन हेतु किन्ही कारणों से सहकारी संस्थाऐं (CONFED) उपलब्ध नहीं है, वहां दवा वितरण केन्द्र राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से संचालित करने पर वित्त विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है।
3. संविदा पर मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से रखे गये संविदा कार्मिकों को नियमित रूप से नियुक्तियां होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक ही भुगतान देय होगा तत्पश्चात शेष रही राशि को समर्पित करना होगा।
4. आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पुनः आवंटन भी आई.एफ.एम.एस. की मैपिंग अनुसार किया जा सकता है।
5. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे तथा बजट आवंटन से अधिक अवधि के लिये बिना अग्रिम स्वीकृति संविदा पर कार्मिकों को नहीं रखा जाना है।
6. प्रत्येक सीएचसी हेतु 1 फार्मासिस्ट रू. 5500/– की दर से 6 माह के लिये इसी प्रकार प्रति सीएचसी 1 सहायक ;भ्मसचमतद्ध रू. 4600/– की दर से 6 माह के लिये 41–संविदा सेवायें मे राशि आवंटित की गई है उक्त व्यवस्था मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से करते हुये भुगतान भी मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किया जायेगा।
7. प्रत्येक सीएचसी 1 फार्मासिस्ट हेतु रू. 900/– प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिये 05–कार्यालय व्यय मे कार्यालय संचालन हेतु विविध व्यय के लिये राशि आवंटित की गई है उक्त व्यवस्था मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से करते हुये भुगतान भी मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किया जायेगा।
8. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
9. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 मे दिये गये निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/3916 दिनांक : 17/XII

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/(राजपत्रित), मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।